भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 4664

उत्तर देने की तारीख : 31.03.2022

उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति योजना

4664. श्री उपेन्द्र सिंह रावतः

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार की देश में विशेषकर उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए कोई छात्रवृत्ति योजना है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उत्तर प्रदेश में ऐसी छात्रवृत्ति योजनाओं के मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन घटकों के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ निर्धारित बजट के संबंध में ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री मुख्तार अब्बास नकवी)

(क): अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों नामतः बौद्ध, ईसाई, जैन, मुस्लिम, सिक्ख और पारसी के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के शैक्षिक सशक्तीकरण के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति तथा बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित करता है।

(ख): उत्तर प्रदेश राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को अब तक 1,06,57,606 छात्रवृत्तियां संवितरित की जा चुकी है। उपर्युक्त योजनाओं के तहत छात्रवृत्तियों के घटकों सहित योजना-वार विवरण निम्नानुसार हैः-

(i) **मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना**- यह छात्रवृत्ति सरकारी/मान्यता-प्राप्त निजी स्कूलों में कक्षा I से X में पढ़ रहे अल्पसंख्यक छात्रों को प्रदान की जाती है। न्यूनतम 30% छात्रवृत्तियां लड़कियों के लिए निर्धारित हैं। पात्र होने के लिए, विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 1.00 लाख रु. से अधिक न हो और उसने पिछली कक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए। प्रत्येक चयनित छात्र को 1,000/- रुपये से लेकर 10,700/- रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(ii) **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना**- यह छात्रवृत्ति सरकारी/मान्यता-प्राप्त निजी स्कूलों/कॉलेजों/संस्थानों में कक्षा XI से पीएचडी स्तर तक पढ़ रहे अल्पसंख्यक छात्रों को प्रदान की जाती है। न्यूनतम 30% छात्रवृत्तियां लड़कियों के लिए निर्धारित हैं। पात्र होने के लिए, विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.00 लाख रु. से अधिक न हो और उसने पिछली कक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए। प्रत्येक चयनित छात्र को 2,300/- रुपये से लेकर 15,000/- रुपये तक की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(iii) **मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना**- यह छात्रवृत्ति उपयुक्त प्राधिकरण द्वारा मान्यता-प्राप्त संस्थानों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों की पढ़ाई के लिए प्रदान की जाती है। इस योजना के अधीन, 30% छात्रवृत्ति लड़कियों के लिए निर्धारित है। पात्र होने के लिए, विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रु. से अधिक न हो और उसने पिछली कक्षा में कम से कम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए। योजना के तहत सूचीबद्ध व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रमों के लिए 85 प्रतिष्ठित प्रमुख संस्थानों में से किसी में भी प्रवेश लेने वाले पात्र छात्रों को पूर्ण पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है। अन्य संस्थानों में अध्ययन करने वाले छात्रों को प्रति वर्ष 20,000/- रुपए के पाठ्यक्रम शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाती है और इसके अलावा दिवा छात्र/छात्राओं के लिए 5,000/- प्रतिवर्ष और हॉस्टल में रहने वाले छात्र/छात्राओं के लिए 10,000/- रुपए प्रतिवर्ष का रखरखाव भत्ता भी देय है।

(iv) **बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति-** मौलाना आजाद शिक्षा प्रतिष्ठान (MAEF), मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन, केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित कक्षा 9वीं से 12वीं की मेधावी लड़कियों के लिए "बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति" योजना के अधीन कक्षा 9वीं और 10वीं में पढ़ने वाली लड़कियों को 5,000/- रु. प्रतिवर्ष और कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए 6000/- रु. प्रतिवर्ष की दर से छात्रवृत्ति प्रदान करती है बशर्ते कि उन्होंने पिछली कक्षा में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हों और उनके माता-पिता अथवा अभिभावकों की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये से अधिक न हो तथा लाभार्थी अन्य किसी स्रोत से छात्रवृत्ति प्राप्त न कर रहा हो।

(ग): उपर्युक्त योजनाओं में से किसी भी योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वित्तीय आबंटन नहीं किए जाते हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान, उपर्युक्त छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत 7017.51 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। 2014-15 से आज तक केंद्रीय रूप से अधिसूचित छह अल्पसंख्यकों नामतः जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम तथा ईसाई समुदायों के छात्रों को 5.20 करोड़ की छात्रवृत्तियां दी गई हैं। इनमें से, लड़कियों का हिस्सा लाभार्थियों के 50% से अधिक है।

*****